

# न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 28/2012

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
वर्षा पुत्री जवारा कौम हरिजन साकिन रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. मदन पुत्र गणेशा, 2. रमेश पुत्र गणेशा 3. सुरेश पुत्र गणेशा 4. मु0 जडिया बेवा गणेशा 5. सीता पत्नि जवारा 6. छगनाराम पुत्र जवारा 7. वासुदेव पुत्र जवारा 8. दलपत पुत्र जवारा 9. अशोक पुत्र जवारा 10. भवरी पुत्री जवारा 11. कन्या पुत्री जवारा कौम हरिजन सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा 12 भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188  
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीया के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन ।
2. प्रतिवादीयागण सं0 6, 7, 9 के अधिवक्ता मोहनलाल विश्णोई उपस्थित ।
3. प्रतिवादी सं0 5 के अधिवक्ता श्री पुखराज विश्णोई उपस्थित ।
4. प्रतिवादी सं0 12 की ओर से राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 20.09.2022

1. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 24.02.2021 को मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1113 व 1114 रकबा 1.06 हैक्टेयर व 0.96 हैक्टेयर जूमले रकबा 2.02 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा जवारा पुत्र जवा के हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्टस के आधार पर बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/212 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/477 दिनांक 06.05.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीया व वादीया के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार

रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	वर्षा पुत्री जवारा जाति हरिजन सा0 देह खातेदार	1113	1.06	0.04625	बारानी दोयम	केसरिया	0.13875
		1114	0.96	0.08	बारानी दोयम		0.24
2.	अशोक पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 ,कन्या पुत्री जवारा हिस्सा 1/6, जाति हरिजन सा0 देह खातेदार,, छगनाराम पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन, भमरी पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन सा0 देह खातेदार, वासुदेव पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 हरिजन सा0 देह खातेदार,, सीता पत्नि जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन सा0 देह खातेदार	1113	1.06	0.2575	बारानी दोयम	हरा	0.7725
		1114	0.96	0.50	बारानी दोयम		1.50
3.	चेपाराम पुत्र मोडाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. हडेतर तह. सांचौर खातेदार, पोपट पुत्र देवराज हिस्सा 1/9 कौम मेघवाल सा. हडेतर तह. सांचौर, बलवन्ताराम पुत्र वजाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. जाजुसन, भुपाराम पुत्र केसाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. कारोला , शान्ति पुत्र राजा हिस्सा 2/9 कौम गर्ग सा.हडेतर खातेदार	1113	1.06	0.75625	बारानी दोयम	बैगनी	2.26875
		1114	0.96	0.38	बारानी दोयम		1.14

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक

दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)  
सहायक कलेक्टर  
रानीवाडा जिला-जालोर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
रानीवाडा जिला-जालोर

**डिक्री व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(civil procedure code, Appendix "D"-1)  
**अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर**  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
वर्षा पुत्री जवारा कौम हरिजन साकिन रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. मदन पुत्र गणेशा, 2. रमेश पुत्र गणेशा 3. सुरेश पुत्र गणेशा 4. मु0 जडिया बेवा गणेशा 5. सीता पत्नि जवारा 6. छगनाराम पुत्र जवारा 7. वासुदेव पुत्र जवारा 8. दलपत पुत्र जवारा 9. अशोक पुत्र जवारा 10. भवरी पुत्री जवारा 11. कन्या पुत्री जवारा कौम हरिजन सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा 12 भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 28 / 2012

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्णोई, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से वकील श्री पूखराज विश्णोई व प्रतिवादी संख्या 12 राजपेरोकार उपस्थित, मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	वर्षा पुत्री जवारा जाति हरिजन सा0 देह खातेदार	1113	1.06	0.04625	बारानी दोयम	केसरिया	0.13875
		1114	0.96	0.08	बारानी दोयम		0.24
2.	अशोक पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 ,कन्या पुत्री जवारा हिस्सा 1/6, जाति हरिजन सा0 देह खातेदार,, छगनाराम पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन, भमरी पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन सा0 देह खातेदार, वासुदेव पुत्र जवारा हिस्सा 1/6 हरिजन सा0 देह खातेदार,, सीता पत्नि	1113	1.06	0.2575	बारानी दोयम	हरा	0.7725
		1114	0.96	0.50	बारानी दोयम		1.50

	जवारा हिस्सा 1/6 जाति हरिजन सा0 देह खातेदार						
3.	चेपाराम पुत्र मोडाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. हडेतर तह. सांचौर खातेदार, पोपट पुत्र देवराज हिस्सा 1/9 कौम मेघवाल सा. हडेतर तह. सांचौर, बलवन्ताराम पुत्र वजाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. जाजुसन, भुपाराम पुत्र केसाजी हिस्सा 2/9 कौम मेघवाल सा. कारोला, शान्ति पुत्र राजा हिस्सा 2/9 कौम गर्ग सा.हडेतर खातेदार	1113	1.06	0.75625	बारानी दौयम	बैगनी	2.26875
		1114	0.96	0.38	बारानी दौयम		1.14

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.09.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)

सहायक कलेक्टर  
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	4	00